



2026:AHC:124248

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18881/2026

श्रीमती सरिता देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : रोहित शुक्ला, उत्कर्ष पाण्डेय
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हिमांशु कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद अपराध संख्या 430 वर्ष 2023, धारा 498-ए, 304-बी, 120-बी एवं 316 भारतीय दण्ड संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में पंजीकृत वाद में विचारण की अवधि के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित करते थे तथा तत्पश्चात् मृतका की फाँसी लगने से मृत्यु हो गई। यह

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी निवेदन किया गया है कि सह-अभियुक्त सचिन, जो मृतका का पति था, को सत्र परीक्षण संख्या 1684 वर्ष 2023 में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.06.2025 के माध्यम से दोषमुक्त कर दिया गया है। दोषमुक्ति का आधार यह रहा कि प्रथम सूचनाकर्ता, जो मृतका का भाई है, तथा मृतका की माता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा आवेदक के विरुद्ध दहेज की मांग पूरी न होने के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को केवल इस कारण वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है कि वह मृतका की सास है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मृतका के पति को विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है तथा अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। साथ ही, विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत कार्यवाही भी प्रारम्भ की जा चुकी है। अतः आवेदिका गुण-दोष के आधार पर भी जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है तथा महिला होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के प्रावधानों के आलोक में भी जमानत की पात्र है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः अब आवेदिका से अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता शेष नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा महिला होने के कारण वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। आवेदिका एक कानून का पालन करने वाली नागरिक है तथा दिनांक 04.05.2026 से निरंतर कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, तथापि उपर्युक्त तथ्यों का खंडन करने में असमर्थ रहे।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदिका एक **महिला** है, साथ ही अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए, तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038**, तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **श्रीमती सरिता देवी** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदिका तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, आवेदिका तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को तथा ई-माध्यम के द्वारा विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या- 4 सन् 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, तथा पीला पाहन उर्फ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-169 वर्ष 2025, निर्णय दिनांक 29.05.2026 में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

दिनांक: 1 जून, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।